

राजस्थान सरकार  
देवस्थान विभाग

क्रमांकप.2(17)देव/2011

जयपुर, दिनांक 28/11/2022

**:: आदेश ::**

देवस्थान विभाग के अर्न्तगत राजस्थान देवस्थान सेवा के विभाग में पदस्थापित निम्नांकित अधिकारियों के राज्य हित में स्थानान्तरण/पदस्थापन आधार पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	पद	कहां से	कहां को
1	श्री गिरीश कुमार बच्चानी	सहायक आयुक्त	वृन्दावन	कार्यालय सहायक आयुक्त, अजमेर
2	श्री गौरव सोनी	सहायक आयुक्त	अजमेर	कार्यालय सहायक आयुक्त, ऋषभदेव

उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरार्थ को अवगत कराने का श्रम करें अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी, श्री कृष्ण कुमार खण्डेवाल, सहायक आयुक्त, भरतपुर को आगामी आदेश तक अपने पद के अतिरिक्त कार्यालय सहायक आयुक्त, वृन्दावन का कार्य भी सम्पादित करने के लिये निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

(अजय सिंह राठीड)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदया, देवस्थान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, देवस्थान विभाग।
3. आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर को निर्देशानुसार प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश की पालना सुनिश्चित कराया जाकर आज ही अवगत करावें।
4. संयुक्त निदेशक, देवस्थान विभाग, कम्प्यूटर सैल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
5. समस्त संबंधित अधिकारी को ई-मेल द्वारा।
6. रक्षित पत्रावली।

(विनोद कुमार प्रधान)  
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
देवस्थान विभाग

कमांकप.2(17)देव/2011

जयपुर, दिनांक 28/11/2022


**:: आदेश ::**

देवस्थान विभाग के अर्न्तगत राजस्थान देवस्थान सेवा के विभाग में पदस्थापित निम्नांकित अधिकारियों के राज्य हित में स्थानान्तरण/पदस्थापन आधार पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	पद	कहां से	कहां को
1	श्री गिरीश कुमार बच्चानी	सहायक आयुक्त	वृन्दावन	कार्यालय सहायक आयुक्त, अजमेर
2	श्री गौरव सोनी	सहायक आयुक्त	अजमेर	कार्यालय सहायक आयुक्त, ऋषभदेव


उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरार्थ को अवगत कराने का श्रम करें अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी, श्री कृष्ण कुमार खण्डेवाल, सहायक आयुक्त, भरतपुर को आगामी आदेश तक अपने पद के अतिरिक्त कार्यालय सहायक आयुक्त, वृन्दावन का कार्य भी सम्पादित करने के लिये निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

  
(अजय सिंह राठौड)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदया, देवस्थान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, देवस्थान विभाग।
3. आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर को निर्देशानुसार प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश की पालना सुनिश्चित कराया जाकर आज ही अवगत करावें।
4. संयुक्त निदेशक, देवस्थान विभाग, कम्प्यूटर सैल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
5. समस्त संबंधित अधिकारी को ई-मेल द्वारा।
6. रक्षित पत्रावली।

  
(विनोद कुमार प्रधान)  
सहायक शासन सचिव